

| <p>तारिख<br/>हुकम</p> | <p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br/>मियाद प्रार्थना पत्र संख्या: 09/2020</p>  | <p>नम्बर व तारिख<br/>अहकाम जो हुकम<br/>हुकम की<br/>तामियममें जारी<br/>हुए</p> |
|-----------------------|--|---|
| <p>11.9.2020</p>      | <p>पत्रावली मूल अपील प्रकरण के साथ साथ प्रस्तुत हुई। प्रार्थी अपीलार्थी के वकील उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। बहस सुनी गई। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार, सिरौही द्वारा प्रकरण संख्या 80/2019 में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2019 के विरुद्ध प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावना पूर्ण होना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं मूल अपील पत्रावली के साथ नत्थी हो।</p> <p style="text-align: right;">(गितेश श्री मालवीया)<br/>अतिरिक्त जिला कलक्टर,<br/>सिरौही</p> |   |

